

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा - 2318/रा०, पटना, दिनांक-18-09-13.

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-इसलामपुर परगना-वेसवक, थाना नं०-101 (याद-1) थाना-इसलामपुर, जिला-नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इसलामपुर बाईपास पथ के लिए सरकार के खास पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-इसलामपुर, थाना नं०-101 (याद-1) के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कभोवेश 4.22 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०-14, 15, 166, 171, 186, 189, 190, 191, 196, 218, 219, 220, 227, 228, 257, 258, 260, 276, 277, 278, 548, 549, 555, 570, 572, 573 एवं 619 सभी अंश तथा खेसरा सं०- 187 एवं 188 पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- खेसरा सं०-619 अंश तथा सीवाना मौजा-वरडीह थाना नं०-96

पूरब:- खेसरा सं०-271, 278, 257, 162, 228, 227, 220, 219, 218, 191, 190, 189, 196, 14, 549, 548, 547, 573, 572, 570 एवं 619 सभी अंश।

दक्षिण:- सीवाना मौजा-इचहोस थाना नं०-101

पूरब:- खेसरा सं०-271, 276, 162, 166, 171, 172, 14, 549, 548, 547, 554 एवं 569 सभी अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो दिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के अन्तर्गत के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा
अपर समाहर्ता, नालन्दा
समाहर्ता, नालन्दा

सरकार के लुप सचिव

पत्रांक 2318/रा० डी0 एल0 ए0-नालन्दा, दिनांक-18-09-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को भेजने हेतु।

प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण संस्करण में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजने हेतु।

सरकार के लुप सचिव